

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 12.12.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/310
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00270
CICOM/R/2018/01042
अपीलकर्ता : श्री संजय विश्वनाथ वासनिक,
गवालीपुरा, गिट्टीखादान,
कटोल रोड, नागपुर - 440013.

निर्णय की तारीख: 12.12.2018

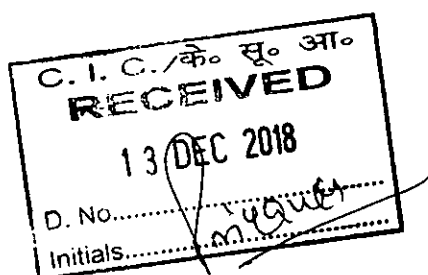
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.10.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	31.10.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	557/03.12.2018 (5959/30.11.2018)

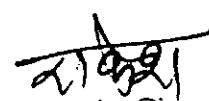
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम द्वितीय अपील सं. CIC/SD/A/2016/000182 की सुनवाई दौरान अपीलैन्ट और रेस्पॉण्डेंट की हुई बातचीत की बातचीत की लिखित रूप में प्रमाणित प्रति की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CIC/CPIO/IC-DP/2018/0003 के माध्यम से दिनांक 31.10.2018 को प्रदान की गई सूचना यिल्कुल तथ्यानुसार है तथा अधोहस्ताक्षरी प्रदान की गई सूचना से पूर्णतः सहमत है। इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

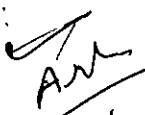
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. पकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


13/12/18
